

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर
डी.बी. क्रिमिनल अपील संख्या 54/1997

नाथू उर्फ नाथिया पुत्र रामू, उम्र 30 वर्ष, निवासी गांव मायदंड, थाना मेड़तासिटी, जिला मेड़ता।

----अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य

----प्रतिवादी

अपीलार्थी(गण) के लिए : श्री सुरेश कुंभट
श्री शीतल कुंभट
प्रतिवादी(गण) के लिए : श्री बी.आर. बिश्नोई, पीपी

माननीय श्री न्यायमूर्ति दिनेश मेहता
माननीय श्री न्यायमूर्ति राजेंद्र प्रकाश सोनी

निर्णय

निर्णय की तारीख 22/05/2024

प्रति माननीय मेहता, जे (मौखिक):

रिपोर्ट करने योग्य

1. वर्तमान आपराधिक अपील दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374(2) के तहत दिनांक 22.01.1997 के निर्णय को चुनौती देते हुए दायर की गई है, जिसके तहत सत्र न्यायाधीश, मेड़ता सिटी ने सत्र प्रकरण संख्या 10/95 में अपीलकर्ता को दोषी ठहराया और निम्नानुसार सजा सुनाई:-

अपराध	सजा सुनाई	जुर्माना
u/s 302 IPC	आजीवन कारावास	जुर्माना अदा न करने पर ₹500/- तथा 3 माह का कठोर कारावास भुगतना होगा।

2. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री कुंभट ने सर्वप्रथम बाबूदा (पीडब्लू-11) द्वारा दर्ज लिखित रिपोर्ट के अनुसरण में दर्ज की गई एफआईआर पढ़ी तथा अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत मामले से न्यायालय को अवगत कराया। एफआईआर पढ़ने के पश्चात, विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ता को बाबूदा (पीडब्लू-11) की गवाही तथा अपीलकर्ता के कब्जे से कुल्हाड़ी बरामद होने के तथ्य के आधार पर दोषी ठहराया गया है।

3. एफएसएल रिपोर्ट की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित करते हुए, विद्वान अधिवक्ता ने रेखांकित किया कि यद्यपि कुल्हाड़ी पर मानव रक्त पाया गया था, लेकिन जहां तक रक्त समूह का संबंध है, उक्त रिपोर्ट अनिर्णायक रही। उनके अनुसार, किसी भी व्यक्ति का मानव रक्त कभी भी कुल्हाड़ी पर लगाया जा सकता है।

4. विद्वान वकील ने दलील दी कि बाबूदा (पीडब्लू-11) कथित अपराध के समय या मौके पर मौजूद नहीं था, जैसा कि उसके बयान से स्पष्ट है, खासकर यह अंश - "मैं वहां पर आया था, इससे पहले कि मैं घटनास्थल पर पहुंच पाता, लोगों ने नाथो को पकड़ लिया था"।

5. विद्वान वकील ने तर्क दिया कि घायल चश्मदीद गवाह बक्शराम (पीडब्लू-2) सहित सभी चश्मदीद गवाह मुकर गए और अभियोजन पक्ष की कहानी को पूरी तरह से नकार दिया। इसलिए, यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ता की सजा एक ऐसे व्यक्ति के साक्ष्य की अनुचित प्रशंसा पर आधारित है, जिसने 'डेरा' में उपलब्ध अन्य सभी व्यक्तियों के बयानों से बिल्कुल अलग बयान दिया।

6. श्री कुंभट ने यह भी तर्क दिया कि विचाराधीन एफआईआर दो दिन की देरी से दर्ज की गई और यदि मामले के समग्र तथ्यों और परिस्थितियों तथा सभी गवाहों की गवाही पर विचार किया जाए तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि अभियोजन पक्ष ने जो कहानी पेश की थी, वह पूरी तरह विफल रही है, जो विश्वास पैदा नहीं करती।

7. उन्होंने वैकल्पिक रूप से तर्क दिया कि यदि अभियोजन पक्ष की कहानी को सच भी माना जाए तो मृतक (घिरकिया) की हत्या करने के लिए अपीलकर्ता का कोई मकसद साबित नहीं हुआ और यह भी कि कुल्हाड़ी का वार क्षणिक आवेश में किया गया था, क्योंकि घटना एक मामूली विवाद से अचानक उत्पन्न हुई थी, इसलिए आईपीसी की धारा 302 के तहत उसकी सजा बरकरार नहीं रखी जा सकती।

8. विद्वान सरकारी वकील ने जोरदार ढंग से तर्क दिया कि अपीलकर्ता ने दिनदहाड़े और इतने लोगों के सामने हत्या की थी और प्रत्यक्षदर्शियों और अन्य अभियोजन पक्ष के गवाहों ने उसके अपराध को सही ढंग से साबित कर दिया है। उन्होंने कहा कि प्रत्यक्षदर्शी बाबूदा (पीडब्लू-11) की गवाही को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, जिसने अभियोजन पक्ष की कहानी का पूरी तरह से समर्थन किया है।

9. विद्वान लोक अभियोजक ने प्रस्तुत किया कि बाबूदा (पीडब्लू-11) भी एक प्रत्यक्षदर्शी था और इसलिए, यदि अभियोजन पक्ष की कहानी का समर्थन एक भी गवाह द्वारा किया जाता है, तो यह पर्याप्त है और प्रत्यक्षदर्शी के मामले में अभियोजन पक्ष को मकसद स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है।

10. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया।

11. प्रतिद्वन्द्वी पक्षकारों के तर्क पर विचार करने से पूर्व अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत मामले के तथ्यों को ध्यान में रखना उचित होगा। अभियोजन पक्ष के अनुसार मृतक घिरकिया की मृत्यु के 2 दिन पश्चात परिवादी बाबूदा (पी.डब्लू.-11) द्वारा लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि उसकी हत्या दिनदहाड़े डेरा में लगभग 2-2:30 बजे दोपहर में कर दी गई है। लिखित रिपोर्ट के अनुसार बक्शाराम (पी.डब्लू.-2) तथा मृतक गिरकिया के मध्य अपनी मां के बक्से की कस्टडी को लेकर आपसी हाथापाई हुई, जिसमें नाथू (वर्तमान अपीलकर्ता) ने हस्तक्षेप करते हुए मृतक के सिर पर कुल्हाड़ी से एक वार किया तथा दूसरा वार बक्शाराम के हाथ पर किया।

12. अपराध का हथियार, कुल्हाड़ी भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत अपीलकर्ता द्वारा दिए गए दिनांक 23.04.1995 के प्रकटीकरण कथन के अनुसरण में बरामद की गई (एक्स.पी/8)। बरामदगी दो गवाहों, अर्थात् बाबूदा (पीडब्लू-11) और पंचराम (पीडब्लू-4) की उपस्थिति में की गई। उक्त कुल्हाड़ी को फॉरेंसिक प्रयोगशाला में भेजा गया, जिसने रिपोर्ट दी (एक्स.पी/26) कि कुल्हाड़ी पर मानव रक्त मौजूद है।

13. जांच पूरी होने पर, एक आरोप-पत्र दायर किया गया, जिसके बाद धारा 302 (घिरकिया की हत्या) और धारा 326 (बक्शाराम को चोट पहुंचाने) के तहत दंडनीय अपराध के लिए आरोप तय किए गए। अपीलकर्ता ने सभी आरोपों से इनकार किया और मुकदमे का दावा किया।

14. मामले को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष ने कई लोगों को गवाह के कठघरे में खड़ा किया, जिनके नाम थे - बलदेवराम (पीडब्लू-1); बक्शाराम

(पीडब्लू-2); हेमाराम (पीडब्लू-3); पंचराम (पीडब्लू-4); गणपतराम (पीडब्लू-6); माधु (पीडब्लू-10) और बाबुदा (पीडब्लू-11), और उन्हें घटनास्थल पर मौजूद या प्रत्यक्षदर्शी बताया। यह दिलचस्प है कि इनमें से बाबुदा (पीडब्लू-11) को छोड़कर सभी गवाह मुकर गए। वे न केवल मुकर गए, बल्कि एक अलग कहानी भी लेकर आए कि मृतक की मौत ऊंट (स्थानीय रूप से 'सांड' के नाम से जाना जाता है) से गिरने के कारण लगी चोटों के कारण हुई।

15. डॉ. मांगीलाल मीना (पीडब्लू-13) और डॉ. आर. के. माथुर (पीडब्लू-14) क्रमशः चोटों और पोस्टमार्टम की गवाही देने के लिए उपस्थित हुए, जबकि गणेशाराम (पीडब्लू-7), रतनाराम, कांस्टेबल (पीडब्लू-8) पुलिस कर्मी होने के नाते जांच के समर्थन में गवाह के रूप में आए। कथित अपराध के हथियार सहित विभिन्न रिपोर्ट और लेख प्रदर्शित किए गए।

16. प्रतिद्वंद्वी वकील की बात सुनने और अभिलेखों का अध्ययन करने के बाद, हमने प्रस्तुत तर्कों के आलोक में साक्ष्यों का मूल्यांकन किया और पाया कि केवल मुखबिर - बाबूदा (पीडब्लू-11) ने ही अभियोजन पक्ष की कहानी का समर्थन किया था। और यहां तक कि उसकी गवाही (पीडब्लू-11) भी घटनास्थल पर या घटनास्थल के निकट उसकी उपस्थिति के बारे में संदेह पैदा करती है - क्योंकि उसने "जब मैं वहां पहुंचा, तो लोगों ने अपीलकर्ता - नाथू @ नाथिया को पहले ही पकड़ लिया था।"

17. लेकिन अगर इस तरह की अभिव्यक्ति को पूरे बयान के साथ पढ़ा जाए, तो घटनास्थल के निकट उसकी उपस्थिति विश्वसनीय लगती है, क्योंकि उसने पहले ही बयान दिया था कि वह 'डेरा' में मौजूद था। लेकिन फिर, विचारणीय महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि "उसने खुद घटना देखी थी या वह 'डेरा' में या उसके आसपास मौजूद था।"

18. हमारे अनुसार, जब अभियोजन पक्ष ने एक कहानी बनाई है, जिसमें घटनास्थल पर 8-10 व्यक्ति मौजूद थे और उन्होंने बक्साराम और मृतक को एक-दूसरे से भिड़ते देखा, साथ ही जब अपीलकर्ता ने कुल्हाड़ी से जानलेवा वार किया और जब उन्हें गवाह के कठघरे में लाया गया, तो वे सभी मुकर गए, तो किसी अभियुक्त को केवल उनमें से एक की गवाही के आधार पर दोषी नहीं ठहराया जा सकता, खासकर जब अन्य पूरी तरह से अलग कहानी लेकर आए हों - साक्ष्य की सावधानीपूर्वक जांच की आवश्यकता है।

19. यह देखा जाना चाहिए कि अधिकांश गवाह जिन्हें चश्मदीद गवाह के रूप में चित्रित किया गया था, न केवल मुकर गए, बल्कि उन्होंने यह भी गवाही दी कि

मृतक (घिरकिया) की मृत्यु ऊंट से गिरने के कारण लगी चोटों के कारण हुई थी। हालांकि इन गवाहों को मुकरने वाला घोषित किया गया था, लेकिन जिरह के दौरान भी वे अपने रुख पर अड़े रहे।

20. जहां तक कुल्हाड़ी की बरामदगी का सवाल है, हम पाते हैं कि बरामदगी जापन (एक्स.पी/8) में पंचराम (पीडब्लू-4) और बाबुदा (पीडब्लू-11) को बरामदगी के गवाह बताया गया है, लेकिन उनकी गवाही बरामदगी को सही ढंग से साबित नहीं करती है। हालांकि पंचराम (पीडब्लू-4) को पक्षद्रोही घोषित किया गया है, लेकिन इस संबंध में उसका परीक्षण अधिक दिलचस्प है, जिसमें उसने स्पष्ट रूप से कहा कि उसने आरोपी को पुलिस को कुल्हाड़ी सौंपते नहीं देखा था और यहां तक कि उसने इस बात से भी इनकार किया कि पुलिस ने उसका अंगूठा लगाने से पहले उसे कुल्हाड़ी की सामग्री पढ़कर सुनाई थी। बाबुदा (पीडब्लू-11) ने भी कुल्हाड़ी की बरामदगी के बारे में कुछ नहीं कहा और जिरह के दौरान सरकारी वकील ने उससे एक भी सवाल नहीं पूछा।

21. जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, एफएसएल रिपोर्ट (एक्स.पी/26) रक्त समूह के बारे में अनिर्णायक रही है और उसमें केवल कुल्हाड़ी पर मानव रक्त की उपस्थिति की रिपोर्ट की गई है। कुल्हाड़ी पर मानव रक्त की उपस्थिति मात्र यह स्थापित नहीं करती है कि कुल्हाड़ी का उपयोग केवल मृतक पर हमला करने के लिए किया गया था।

22. संपूर्ण सामग्री के मूल्यांकन और रिकॉर्ड पर साक्ष्य के विश्लेषण पर, हम पाते हैं कि अभियोजन पक्ष जो यह मामला लेकर आया था कि अपीलकर्ता-अभियुक्त ने मृतक के माथे पर कुल्हाड़ी से प्रहार किया, जबकि मृतक और बक्शराम उलझ गए थे और बक्शराम कुल्हाड़ी के दूसरे वार से घायल हो गया था, जिसे अपीलकर्ता ने कई लोगों की उपस्थिति में दिया था, अपीलकर्ता-अभियुक्त के खिलाफ आरोप को सही साबित करने में पूरी तरह विफल रहा है।

23. घायल व्यक्ति बक्शराम (पीडब्लू-2), जो कोई और नहीं बल्कि मृतक का सगा भाई था, ने गवाहों के कठघरे में एक बिल्कुल अलग कहानी पेश की थी और मृतक के दूसरे भाई यानी बाबूदा (पीडब्लू-11) को छोड़कर लगभग सभी गवाहों (पीडब्लू-2, पीडब्लू-3 और पीडब्लू-4) ने बक्शराम (पीडब्लू-2) द्वारा बताई गई कहानी को दोहराया कि मृतक ऊंट से गिर गया था।

24. ऐसी स्थिति में, हमारा विचार है कि एक गवाह (प्रत्यक्षदर्शी होने के नाते) पर विश्वास करना और अन्य सभी गवाहों की गवाही को नजरअंदाज करना बहुत

खतरनाक और अविवेकपूर्ण होगा, जो शिकायतकर्ता (पीडब्लू-11) के अनुसार मौके पर मौजूद थे और अभियोजन पक्ष ने भी उन पर विश्वास किया था।

25. यह ध्यान देने योग्य है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत दिए गए अपने स्पष्टीकरण कथन में अपीलकर्ता ने दावा किया था कि मृतक की मृत्यु ऊंट से गिरने के कारण हुई थी और दिनांक 06.06.1995 के आवेदन (एक्स.डी/2) का संदर्भ दिया था जिसमें उसने न्यायालय को लिखा था कि अनुरोध के बावजूद जांच अधिकारी ने सही तथ्यों को रिकॉर्ड पर नहीं लिया और ऊंट की काठी और उसके ब्लेड पर मौजूद खून के धब्बों की जांच नहीं की, जो कि मृतक को ऊंट से गिरने के दौरान/बाद में लगी चोट से अत्यधिक रक्तस्राव के कारण ब्लेड पर खून के धब्बे थे। यद्यपि अभियुक्त द्वारा दिनांक 06.06.1995 का आवेदन साक्ष्य (एक्स.डी/2) के रूप में प्रस्तुत किया गया था, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने उस पर विस्तार से विचार नहीं किया।

26. यह ध्यान देने योग्य है कि उक्त आवेदन पत्र आरोप-पत्र दाखिल होने से पहले ही विद्वान अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया गया था (06.06.1995) और अभियुक्त द्वारा दी गई कहानी या मृतक की मृत्यु का कारण कम से कम तीन गवाहों द्वारा दोहराया गया है, जिन्हें अभियोजन पक्ष के अलावा किसी और ने प्रत्यक्षदर्शी के रूप में अपने कारण का समर्थन करने के लिए पेश नहीं किया था।

27. ट्रायल कोर्ट ने अभियुक्तों के बचाव और बक्शाराम (पीडब्लू-2); हेमाराम (पीडब्लू-3) और पंचाराम (पीडब्लू-4) द्वारा किए गए दावों को खारिज कर दिया, केवल इसलिए कि बचाव पक्ष के वकील ने मेडिकल ज्यूरिस्ट (पीडब्लू-13) से यह सवाल नहीं पूछा था कि क्या ऐसी चोटें हो सकती हैं, अगर मृतक ऊंट से गिर गया हो। बचाव पक्ष के वकील की समझदारी पर दोष पाते हुए, ट्रायल कोर्ट ने इस तथ्य को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया कि मेडिकल ज्यूरिस्ट - डॉ. आर.के. माथुर (पीडब्लू-14) ने चोट के संभावित कारण, अर्थात् धारदार हथियार से चोट पहुँचाने के बारे में भी गवाही नहीं दी थी।

28. हमारे विचार में, जब मेडिकल ज्यूरिस्ट ने स्वयं यह नहीं कहा कि चोट कुल्हाड़ी या अन्य धारदार हथियार से लगी है, तो बचाव पक्ष के वकील को यह सुझाव देने की आवश्यकता नहीं थी कि यदि कोई व्यक्ति ऊंट से गिर गया हो, तो क्या ऐसी चोट लग सकती है। इसके अलावा, केवल बचाव पक्ष के वकील की ओर से कथित चूक के कारण अपराध सिद्ध नहीं माना जा सकता।

29. यह ध्यान में रखना चाहिए कि ऊँट की काठी घोड़े और हाथी आदि जैसे अन्य जानवरों की काठी से भिन्न होती है। ऊँट के कूबड़ के कारण, विशेष प्रकार की काठी तैयार की जाती है जो लोहे की पट्टियों और छड़ से बनी होती है। और ऊँट से गिरकर घायल होने की संभावना से पूरी तरह इनकार नहीं किया जा सकता।

30. मुख्य गवाह बाबूदा (पीडब्लू-11) की गवाही के अनुसार - घटना के बाद घिरकिया - मृतक को सबसे पहले पास के गांव (बगड़) ले जाया गया, जहां डॉक्टर नहीं मिलने पर वैद्य (आयुर्वेदिक डॉक्टर) से संपर्क किया गया और फिर घायल को वापस डेरा (घर) लाया गया और अगले दिन ही उसे अजमेर अस्पताल ले जाया गया और तब तक मृतक जीवित था और अगले दिन अजमेर के अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई।

31. पी.डब्लू.-11 के अनुसार, पुलिस अगले दिन उसके पास आई; जिसका अर्थ है घटना के दो दिन बाद (17.04.1995 को शाम 5:45 बजे)। यह तथ्य कि इतने सारे व्यक्तियों में से किसी ने भी 48 घंटे से अधिक समय तक पुलिस को घटना की सूचना नहीं दी, संदेह पैदा करता है; खासकर तब जब हत्या का कथित अपराध कई लोगों की मौजूदगी में दिनदहाड़े किया गया हो। इस तरह के गंभीर मामले में 48 घंटे से अधिक की देरी को हल्के में नहीं लिया जा सकता है और इससे संदेह पैदा होता है, खासकर आरोपी अपीलकर्ता द्वारा सुझाई गई परिकल्पना के सामने, जिसकी पुष्टि चश्मदीद गवाहों (पी.डब्लू.-2, पी.डब्लू.-3 और पी.डब्लू.-4) द्वारा की गई है।

32. हमारा मानना है कि जब कई लोग जो मौजूद थे, प्रत्यक्षदर्शी के रूप में पेश किए गए हैं और उन्होंने शिकायतकर्ता (पीडब्लू-11) की गवाही की पुष्टि नहीं की है, तो अभियोजन पक्ष द्वारा सुझाई गई परिकल्पना को स्वीकार करना और बचाव पक्ष द्वारा विचार के लिए रखी गई परिकल्पना को खारिज करना या अस्वीकार करना सुरक्षित नहीं होगा, जिसे अभियोजन पक्ष के गवाहों से समर्थन मिला।

33. ट्रायल कोर्ट ने अपीलकर्ता को बाबूदा (पीडब्लू-11) की गवाही के आधार पर दोषी ठहराया है, जिसका संस्करण किसी अन्य गवाह द्वारा समर्थित नहीं है। अन्य दोषपूर्ण सबूत कुल्हाड़ी की बरामदगी थी, जिसे स्वतंत्र गवाह द्वारा ठीक से साबित नहीं किया गया है। इसलिए, चश्मदीद गवाह बाबूदा (पीडब्लू-11) की अपुष्ट गवाही के आधार पर अपीलकर्ता को दोषी ठहराना सुरक्षित नहीं होगा।

34. घटनास्थल पर उपस्थित सभी अभियोजन पक्ष के गवाह (शिकायतकर्ता को छोड़कर) मुकर गए हैं, इसलिए मामले का निर्णय अब प्रत्यक्ष साक्ष्य के आधार पर

नहीं किया जा सकता। इससे न्यायालय के समक्ष यह विचारणीय प्रश्न खड़ा होता है कि क्या अवशिष्ट साक्ष्य अर्थात् परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर दोष सिद्ध किया जा सकता है।

35. यह ध्यान देने योग्य बात है कि ऊंट की काठी मुख्यतः लोहे की बनी होती है। यदि कोई व्यक्ति ऊंट से गिरकर घायल हो जाए तो इस संभावना को पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता। यद्यपि प्रत्यक्षदर्शी के मामले में उद्देश्य अप्रासंगिक हो जाता है, लेकिन बिना किसी पूर्व दुश्मनी के, अपीलकर्ता ने मृतक नाथू के सिर पर कुल्हाड़ी से वार क्यों किया, जबकि उसका साला (बक्साराम) मृतक से उलझा हुआ था, यह किसी की भी समझ से परे है।

36. साक्ष्य और सामग्री की सराहना करते समय, न्यायालय को अपीलकर्ता और मृतक की सामाजिक और वित्तीय पृष्ठभूमि को ध्यान में रखना होगा जो बागरिया (बंजारा) समुदाय से हैं। गवाहों सहित शामिल सभी व्यक्ति अशिक्षित थे और जब वे न्यायालय में आए तो सभी ने अभियोजन पक्ष की कहानी को पूरी तरह से नकार दिया। 17.04.1995 को पंचनामा (एक्स.पी/4) तैयार करते समय भी, पुलिस ने मोतबीरों की उपस्थिति में दर्ज किया था कि मृतक की मौत माथे पर गंभीर चोट लगने से हुई थी। पंचों पंचोराम और बलदेवराम जो पुलिस के अनुसार प्रत्यक्षदर्शी थे, ने तब तक यह खुलासा नहीं किया कि उसे अपीलकर्ता ने कुल्हाड़ी से मारा था।

37. वर्तमान मामले में अभियोजन पक्ष अपीलकर्ता द्वारा अपराध किए जाने को संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है - इसमें कई खामियां हैं - (i) अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा है कि शिकायतकर्ता एक प्रत्यक्षदर्शी था, फिर भी ट्रायल कोर्ट ने उसके बयानों को सत्य माना है; (ii) अभियोजन पक्ष कड़ियों की श्रृंखला को पूरा करने में विफल रहा है, क्योंकि रक्त समूह की रिपोर्ट अनिर्णायक रही; (iii) हालांकि बरामदगी अन्यथा एक कमजोर साक्ष्य है, ट्रायल कोर्ट ने यंत्रवत् रूप से बरामदगी ज्ञापन पर भरोसा किया है, हालांकि यह ठीक से साबित नहीं हुआ था; (iv) ट्रायल कोर्ट ने दिनांक 06.06.1995 के पत्र (एक्स.डी/2) के अनुसार जांच करने में विफलता के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखा है; (v) पी.डब्लू.-11 के बयान की किसी अन्य गवाह द्वारा पुष्टि नहीं की गई थी।

38. उपर्युक्त चर्चा के परिणामस्वरूप, हम बिना किसी हिचकिचाहट के यह मानते हैं कि अभियोजन पक्ष वर्तमान अपीलकर्ता के विरुद्ध सभी उचित संदेहों से परे मामला साबित करने में विफल रहा है और यह स्थापित करता है कि अभिलेख पर मौजूद सामग्री के आधार पर केवल एक ही निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि

मृतक की मृत्यु अपीलकर्ता द्वारा कुल्हाड़ी के वार के कारण हुई या दूसरे शब्दों में, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि मृतक की मृत्यु के पीछे अपीलकर्ता और केवल अपीलकर्ता ही दोषी था।

39. इस प्रकार, अपीलकर्ता नाथू @ नाथिया द्वारा दायर अपील को स्वीकार किया जाता है; सत्र मामला संख्या 10/1995: राज्य बनाम नाथू पर्वियम के दिनांक 22.01.1997 के निर्णय और आदेश में भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत अपराध के लिए उसकी दोषसिद्धि और सजा को रद्द और अपास्त किया जाता है और उसे सभी आरोपों से बरी किया जाता है। चूंकि अपीलकर्ता जमानत पर है, इसलिए उसके द्वारा प्रस्तुत जमानत बॉन्ड निरस्त माने जाएंगे।

40. हालांकि, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 437-ए के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, अपीलकर्ता - नाथू @ नाथिया को 30 जून 2024 तक ट्रायल कोर्ट के समक्ष 50,000/- रुपये की राशि का व्यक्तिगत बॉन्ड और समान राशि का जमानत बॉन्ड प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाता है। इस प्रकार प्रस्तुत किए गए बांड छह महीने की अवधि के लिए प्रभावी होंगे। बॉन्ड में एक वचनबद्धता होगी कि निर्णय के खिलाफ विशेष अनुमति याचिका दायर करने या अनुमति दिए जाने की स्थिति में, अपीलकर्ता, इसकी सूचना प्राप्त होने पर, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।

(राजेंद्र प्रकाश सोनी),जे

(दिनेश मेहता),जे

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।

अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा एवं निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।